

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 700476 / 16

संस्थापन दिनांक : 10.08.2016

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड
म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

1-रामवीरसिंह पुत्र विजयसिंह जाटव उम्र 38 वर्ष
निवासी नयापुरा उसेतघाट हाल गुलाबपुरा उसेतघाट
रोड अम्बाह जिला मुरैना म.प्र.

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भा.द.स. की धारा 294, 506 भाग दो, 323 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा विकल्प में 324 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 08.08.16 को 19:30 बजे जमुना ऑटो फैक्ट्री गेट के सामने मालनपुर जिला भिण्ड पर पप्पूसिंह जाटव की लाठी से सिर में खतरनाक हथियार के रूप में उपयोग कर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.16 को फरियादी पप्पू अ0सा01 ट्रक को जमुना ऑटो फैक्ट्री के गेट के सामने खड़ा करके खाना बनाने लगा उसी समय उसका भाई आरोपी रामवीरसिंह आया और उसे गालियां देते हुए अपने लिए भी खाना बनाने को कहा जब उसने मना कर दिया तो आरोपी रामवीर ने लकड़ी का डण्डा उठाकर उसके सिर में मारा जिससे घाव होकर खून निकल आया तभी और लोग आ गये जिन्होंने बीच बचाव कराया। तत्पश्चात फरियादी पप्पू अ0सा01 ने थाना मालनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर आरोपी के विरुद्ध अप0क0 132/16 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम

दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या दिनांक 08.08.16 को 19:30 बजे जमुना ऑटो फैक्ट्री गेट के सामने मालनपुर जिला भिण्ड पर पप्पूसिंह जाटव की लाठी से सिर में खतरनाक हथियार के रूप में उपयोग कर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. पप्पूसिंह अ0सा01 ने कथन किया है कि पिछले वर्ष जब वह चूल्हे की लकड़ी तोड़ रहा था तब उसके सिर में लग गयी थी तब पुलिस आई थी और गांववाले ने कहा था कि आरोपी जोकि उसका सगा भाई है और वह आपस में लड़ रहे हैं तब पुलिस उसे पकड़कर ले गयी थी। उसने घटना की रिपोर्ट नहीं की थी ना ही रिपोर्ट के बाद पुलिस मौके पर आई। एफ.आई.आर. प्र0पी-1 व नक्शामौका प्र0पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 08.08.16 को जब वह जमुना ऑटो फैक्ट्री गेट पर खाना बना रहा था तब आरोपी ने डण्डा उठाकर उसके सिर पर मारा और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. अतः स्वयं फरियादी व आहत पप्पूसिंह अ0सा01 ने स्वयं को आरोपी द्वारा चोट पहुंचाये जाने से इंकार किया है। उक्त साक्षी आहत होकर प्रत्यक्ष व महत्वपूर्ण साक्षी है जिसके द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अतः उक्त महत्वपूर्ण साक्षी द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 08.08.16 को 19:30 बजे जमुना ऑटो फैक्ट्री गेट के सामने मालनपुर जिला भिण्ड पर पप्पूसिंह जाटव की लाठी से सिर में खतरनाक हथियार के रूप में उपयोग कर मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
7. परिणामतः आरोपी को धारा 324 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
8. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
9. प्रकरण में जप्ती लकड़ी की फन्टी अपील अवधि पश्चात नष्ट की जाये व अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0